कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर
जिला नारायणपुर (छ0ग0)

Ph.& Fax No. 07781-252483 E-Mail ID cmho.narayanpur@gmail.com

क्रमांक / एनएचएम / मु.चि.अ. / 2020 /4738 नारायणपुर, दिनॉक 17/07/2020

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
जिला नारायणपुर,

विषय :– प्रेस विज्ञप्ति अपलोड करने के संबंध में ।

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि राज्य आपदा मोचन निधि अंतर्गत माईक्रोबायोलॉजिस्ट, लेब टेक्नीशीयन, स्टॉफ नर्स, लेब अटेन्डेंट एवं स्वच्छता कर्मी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु केवल 03 माह के लिए संविदा आधार पर नियुक्ति किया जाना है, इस हेतु विज्ञप्ति कृपया www.narayanpur.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करेंगे ।

संलग्न :– विज्ञप्ति की प्रति ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नारायणपुर

पृ.क्रमांक / एनएचएम / मु.चि.अ. / 2020/4739-4 नारायणपुर, दिनॉक 17/07/2020

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. कलेक्टर, जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नारायणपुर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर
जिला – नारायणपुर (छ.ग.)

Ph.& Fax No. 07781-252483 E-Mail ID – cmho.narayanpur@gmail.com

कमांक / /NHM/मु.चि.अ/2020–21/4738 नारायणपुर, दिनांक 17/07/2020

वॉक–इन–इन्टरव्यूव

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. अटलनगर नवारायपुर के पत्र कमांक/संचा.स्वा.से./स्टेनो/457/नवा रायपुर, दिनाक 01.07.2020 के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग के पत्र क्रमांक/2386/सा/2020/17/ एक नवा रायपुर दिनॉक 29.06.2020 के तहत राज्य आपदा मोचन निधि से जिलों में कोविड–19 के संक्रमण से रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आगामी तीन माह हेतु माईक्रोबॉयोलॉजिस्ट, स्टॉफ नर्स, लेब टेक्नीशीयन, लैब अटेन्डेंट एवं स्वच्छताकर्मी का कार्य लिए जाने की अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/कलेक्टर के मार्गदर्शन में मानव संसाधन नीति 2018 का पालन करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित संविदा वेतन पर आगामी तीन माह के लिए माईक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टॉफनर्स, लैबटेक्नीशियन, लैब अटेन्डेन्ट एवं स्वच्छताकर्मी की भर्ती किया जाना है, इस हेतु **दिनॉक 25.07.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.) में वॉक–इन–इन्टरव्यूव आयोजित है ।** इच्छुक, पात्र एवं अर्हताधारी अभ्यर्थी निर्धारित एवं वांछित मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर में वॉक–इन–इन्टरव्यू दिनांक 25.07.2020 को प्रातः 10:30 बजे उपस्थित हो सकते हैं।

स. क्र.	पद का नाम	रिक्त पद	मासिक वेतन	श्रेणीवार रिक्त पद				कुल	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
				ST	SC	OBC	UR		
1	माईकोबॉयोलाजिस्ट	1	35000	0	0	0	1	1	1) Medical Graduate (Regular) with P.G Degree/Diploma in Microboilogy /Pathology/Other Lab Sciences. (Prefference 1) Or 2)M.sc. in Microbiology (Regular) with Ph.D.(Prefference 2) Or 3)M.sc. in Microbiology (Regular) (Prefference 3)
2	स्टॉफनर्स,	52	16500	37	2	7	6	52	B.Sc. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council.
3	लैबटेक्नीशियन,	4	14000	3	0	1	0	4	DMLT/ BMLT/paramedical Course Passed in Pathology & Registration in CG Paramedical Council.
4	लैब अटेन्डेन्ट	1	12000	0	0	0	1	1	12th Pass Biology & 2 Year Experince
5	स्वच्छताकर्मी	6	8000	4	0	1	1	6	8वी पास
Total		64		44	2	9	9	64	

संविदा भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण शर्ते एंव दिशा–निर्देश :–

1. आवेदक जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in में विज्ञापन अनुसार आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार किया जावेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाणपत्रों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करें। (1) आवेदन पत्र (2) शैक्षणिक योग्यताप्रमाण पत्र (3) जातिप्रमाण पत्र (4) निवासप्रमाण पत्र (5) रोजगार पंजीयन (6) अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र (7) अन्य प्रमाण पत्र
4. जिले के निवासी को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी एवं जिले से अभ्यार्थी नही मिलने की स्थिति में बस्तर संभाग के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि संभाग से पात्र अभ्यर्थी नही मिलने पर राज्य के अभ्यर्थी को भर्ती में अवसर दिया जावेगा ।
5. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकायें अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा।
6. अभ्यर्थी का साक्षात्कार में पहचान पत्र के रूप में आधारकार्ड/ वोटर आईडी कार्ड लाना अनिवार्य होगा।
7. संविदा मानदेय :– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय प्रावधानित एन.एच.एम. के अनुसार देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
8. उक्त पद की संविदा नियुक्ति केवल 3 माह हेतु किया जावेगा।
9. चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता का 80 प्रतिशत, अनुभव – एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए प्रतिवर्ष 03 अंक एवं अधिकतम 05 वर्ष का अनुभव, एन.एच.एम. के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष 2 अंक एवं अधिकतम 05 वर्ष का अनुभव, मितानिन कार्यक्रम के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष 4 अंक एवं अधिकतम 05 वर्ष का अनुभव, के आधार पर मेरिट सूची जारी उपरांत अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा ।
10. चयन प्रकिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले के स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जावेगा परंतु प्रशासकीय नियंत्रण जिला स्तरीय पद पर मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी एवं विकासखण्ड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी होंगे।
11. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, इसी प्रकार किसी भी अभ्यर्थी का त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन जमा करना होगा।
12. यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई व अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करने पर संबंधित को अपने मूल पदस्थापना स्थल में निर्धारित समयावधि में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगी।
13. चयन प्रकिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रकिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।
14. भर्ती प्रकिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार अध्यक्ष/ कलेक्टर, जिलास्वास्थ्य समिति, जिला नारायणपुर का होगा, जो सभी को मान्य होगा।
15. शासकीय/अर्ध्द शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन विचारणीय नही होगा।
16. नियुक्ति में शिथलीकरण का अधिकार जिला चयन समिति को होगा।
17. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नही दी जावेगी, प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी अवलोकन कर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पायी जावेगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी, त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।